निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1936 (श0)

संख्या 50 पटना, बुधवार, ————————

10 दिसम्बर 2014 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-3**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**4-4**
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	**---**
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**---**
पूरक	
पूरक-क	**5-8**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वाणिज्य कर विभाग

———

अधिसूचनाएं

2 दिसम्बर 2014

सं० 6/गो0–34–12/2007–5519/वा0कर––श्री सजन कुमार रूंगटा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, समेकित जाँच चौकी, सोहन पट्टी, बक्सर को सासाराम अंचल प्रभारी के अवकाश अवधि तक के लिए वाणिज्य–कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं० 6/गो0–34–12/2007–5520/वा0कर––मो0 सदरूला ओला खाँ, वाणिज्य–कर उपायुक्त, अंकेक्षण केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को मुंगेर अंचल प्रभारी के अवकाश अवधि तक के लिए वाणिज्य–कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी, मुंगेर अंचल, मुंगेर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं० 6/गो0–34–12/2007–5521/वा0कर––श्री अशोक कुमार झा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, वसूली कोषांग, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर उपायुक्त, मुख्यालय बिहार, पटना के कर शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, अवर सचिव ।

———

वित्त विभाग

———

अधिसूचनाएं

28 नवम्बर 2014

सं० 01/स्था०–(ले०सं०)–14/2014–11017/वि०––बिहार सेवासंहिता के नियम 227, 234 एवं 248(क) में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत श्री अजय कुमार ठाकुर, अवर बजट नियंत्रक–सह–अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वयं की चिकित्सा के निमित्त दिनांक 14.07.2014 से 09.11.2014 तक उपभोग किए गए 119 दिनों के अवकाश को निम्न रूप में स्वीकृत किया जाता हैः–

(i) दिनांक 14.07.2014 से 22.07.2014 तक–9 दिनों के उपार्जित अवकाश के रूप में।

(ii) दिनांक 23.07.2014 से 09.11.2014 तक–220 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य 110 दिनों के रूपांतरित अवकाश के रूप में।

2. उक्त अवधि में इन्हें परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

28 नवम्बर 2014

सं० 01/स्था०–का०आ०(पदा०)–01/04(पार्ट)11016/वि०––श्री अजय कुमार ठाकुर, अवर बजट नियंत्रक–सह–अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना को प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार पटना का पूर्ण कालिक प्रभार दिया जाता है।

तद्नुरूप श्री शिवनारायण झा, अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रभारी पदाधिकारी, वै०दा०नि०को० प्रभार से मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 38—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

———

मुख्य अभियंता–2, पटना

ग्रामीण कार्य विभाग

———

शुद्धि–पत्र

3 नवम्बर 2014

सं० 2645——इस कार्यालय के ज्ञापांक–2365 दिनांक 17.09.14 द्वारा श्री ओम प्रकाश कुमार को अनुकम्पा के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की गई है। उसमें पिता का नाम स्व0 सुदामा राम के स्थान पर सुदामा राय अंकित हो गया है, उसे सुदामा राम पढ़ा जाय एवं अन्य आदेश पूर्ववत् रहेगा।

आदेश से,

ई0 अच्छे लाल राम,

मुख्य अभियंता–2।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर 2014

सं0 3 अ0प्र0–1–184/10–4335––श्री सुदर्शन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 के पदस्थापन काल में छडों की नीलामी के संबध में आरोप पत्र प्रपत्र'क' गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसके आलोक में आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षा किये जाने के उपरांत यह पाया गया कि समानों के निस्तार सिर्फ नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना था, परंतु नीलामी की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। चूँकि इस मामले में नीलामी नहीं की गयी जिससे राजस्व की हानि के संबंध में आकलन संभव नहीं हो सका, परंतु दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के लिए आपको दोषी पाया गया है।

अतः श्री सुदर्शन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के कंडिका (v) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

28 नवम्बर 2014

सं० कौन/भी०–902/2008/245/सी०––स्व0 चन्देश्वर चौधरी, तत्कालीन वाणिज्य–कर उपायुक्त (बिहार वित्त सेवा) को उनके खगड़िया अंचल के पदस्थापनकाल में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 के उल्लंघन एवं उच्चाधिकारियों के निदेश की अवहेलना के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 643 दिनांक 30.08.2006 द्वारा निलम्बित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–659 दिनांक 14.09.2004 द्वारा वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), गया प्रमंडल, गया के संचालन में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित करायी गयी।

2. जाँच संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन/मंतव्य पर सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–12 दिनांक 11.01.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(VIII) के तहत स्व० चन्देश्वर चौधरी, वाणिज्य–कर उपायुक्त को निलंबन अवधि में ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड संसूचित किया गया जिसपर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी।

3. उक्त संसूचित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरूद्ध स्व० चन्देश्वर चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–8375/08 दायर किया गया। उक्त समादेश याचिका में दिनांक 13.07.2011 को पारित आदेश के अनुसार इसे अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती मीना देवी पति स्व० चन्देश्वर चौधरी द्वारा दिनांक 13.07.2011 को L.P.A सं0–1611/2011 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.10.2013 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"For the aforesaid reasons recorded by us, we allow this appeal. The impugned judgment and order dated 13th July 2011 passed by the learned single judge in C. W.J.C No-8375/08 is set aside. C.W.J.C No-8375 of 2008 is allowed. The Government Notification dated 11th January 2008 and the order of compulsory retirement made against the delinquent is quashed and set aside. The delinquent will be deemed to have continued in service till he reached the age of superannuation."

"The State Government is directed to pay the arrears of salary/pay and allowance from 3rd August 2006, the date the delinquent was placed under suspension, till the date he reached the age of superannuation. Such amount will be calculated and paid to the appellant no.- 1 Smt. Meena Devi, wife of the deceased delinquent. The appellant no. 1 will receive and hold the said amount on behalf of the appellants. Such amount will be paid to the appellant no. 1 Smt. Meena Devi as early as possible as but not later than 31st December 2013. In the event the State Government fails to pay the amount of arrears of salary (pay and allowances) as directed, the appellant no. 1 Smt. Meena Devi will be entitled to the interest @ 8% per annum on the said amount. The interest will be calculated from the date of this order till the date of payment.

The delinquent will be entitled to a full pension and other terminal benefits. The State Government will revise the pension payment order of the delinquent in accordance with the above directions and will pay the difference of amount of pension and other terminal benefits to the appellant no. 1 Smt. Meena Devi, the wife of the deceased delinquent. Such amount will be paid not later than 31st March 2014. In the event the State Government fails to pay the amount of difference in pension and terminal benefits by 31st March 2014, such amount shall be paid with interest @ 8% per annum. The interest will be paid from 1st April 2014 till the date of payment.

The State Government will also revise the order of family pension payable to the aforesaid Smt. Meena Devi and will pay the arrears of family pension to the said Smt. Meena Devi latest by 30th April 2014. In the event the State Government fails to pay arrears of family pension by 30th April 2014, such amount shall be paid with interest @ 8% per annum. The interest will be calculated for the period from 1st May 2014 till the date of payment.

5. उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में S.L.P (CC/12246/14) दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए उक्त S.L.P को खारिज कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में स्व० चौधरी के निलंबनादेश संख्या–643, दिनांक 30.08.2006 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या– 12, दिनांक 11.01.2008 द्वारा संसूचित अनिवार्य सेवानिवृति का दंड निरस्त किया जाता है।

निलंबन की तिथि 30.08.2006 से उनके वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि 31.07.2009 की अवधि को सेवा अवधि मानते हुए पेंशन प्रदायी के रूप में विनियमित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

––––

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

––––

अधिसूचनाएं

12 नवम्बर 2014

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014–780 नि०गो०––डा0 राजेश कुमार चौबे, तत्कालीन पशुधन पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना को विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–174–175 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–226 नि0गो0 दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. डॉ0 चौबे के विरूद्ध निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत डॉ0 चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 राजेश कुमार चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, (राजयक्ष्मा), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. डॉ0 चौबे के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में निलंबन अवधि के संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

———

12 नवम्बर 2014

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014–781 नि०गो०––डॉ0 कुमारी कनक लता, तत्कालीन प्रक्षेत्र पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना को विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने तथा विसूखी गायों को कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–172 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प–227 नि0गो0, दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. डॉ0 कुमारी कनक लता के निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत डॉ0 लता को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 कुमारी कनक लता को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उप निदेशक, (चारा विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. डॉ0 लता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में निलंबन अवधि के संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 38—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in